

UPJS010068592025



न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J. O. Code No- UP 6311

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं- 537/ 2025

अरविन्द कुमार(एडवोकेट) आदि

बनाम

ललिता यादव

दिनांक- 03. 06. 2026

1- प्रार्थीगण अरविन्द कुमार एडवोकेट, राहुल कुमार एवं अतुलराज का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 4(1), 4(2) छ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम 12(4), 12(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 पेश हुआ। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल न देने बावत कथन करते हुए प्रार्थनापत्र निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

2- सुना व अवलोकन किया।

3- चूंकि स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र पर बल न देने का कथन किया है और आदेश पत्रक पर यह अंकित किया है कि वह प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहता है। अतः आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा बल न देने के कारण प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल न देने के कारण प्रार्थनापत्र 3A निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक- 03. 06. 26

(आदित्य चतुर्वेदी)

विशेष न्यायाधीश एस. सी/ एस. टी एक्ट,

झांसी।